निर्णय बइजलास श्री शक्ति सिंह (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला–राजसमन्द

प्र0सं0 97/2018 रेवाद

निर्णय दिनांक :– 29.01.2020

अनवान

1. श्री मांगी लाल पिता लखु जी जाति कलाल आयु 65 वर्ष निवासी कलालो की आंती तहसील देवगढ़

.....वादी/–

बनाम

1. श्री नाथुलाल पिता लखु जी जाति कलाल आयु बालिग जाति कलाल आयु बालिग निवासी कलालो की आंती तहसील देवगढ
2. श्री सोहन लाल पिता लखु जी जाति कलाल आयु बालिग जाति कलाल आयु बालिग निवासी कलालो की आंती तहसील देवगढ
3. श्रीमान उपपंजीयक महोदय देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
4. श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ जिला राजसमन्द।

.....प्रतिवादीगण/–

वाद अन्तर्गत धारा 53–88–89–188 आर0टी0ए0

———:::———

उपस्थित :– 1. श्री लुम्ब सिंह वकील वादी।

2. श्री रेखा शर्मा वकील प्रतिवादी।

—निर्णय—

वादी का वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम कलालो की आंती की भूमि आ0नं0 240 रकबा 8.10, आ0ख0नं0 632/240 रकबा 2.00 कुल किता 2 रकबा 10.10 बीघा वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 से 02 की खातेदारी थी जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा था जिसमें से आधा हिस्सा अर्थात् 1/6 हिस्सा हमनें श्री सुआलाल, कन्हैया लाल, देवीलाल, बंशीलाल, रमेशलाल पिता

सहायक कलेक्टर

लच्छू को बेचान कर दिया शेष भूमि 1/6 में से प्रतिवादी नाथूलाल व सोहन लाल ने इस वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा वादी को आपसी बंटवाडे में दे दिया तथा एक इकरार पत्र निष्पादित कर इकरार किया कि जब भी वादी कहेगा तब उक्त भूमि की रजिस्ट्री वादी के पक्ष में करा देगें। इस हेतु 10/– रू0 का स्टाम्प पर दिनांक 12.01.1999 को निष्पादित कर दिया कि जब भी वादी कहेगा तब माफिक इकरार उनके हिस्से की भूमि की रजिस्ट्री करा देगें। प्रतिवादीगण ने इस भूमि के बदले में अन्यत्र भूमि रख ली जिसे प्रतिवादीगण ने अन्यत्र लच्छू पिता भीमा जी को बैचान कर दी। इसके बाद वादी बाहर धन्धे पर चले गये तथा दो–तीन वर्ष बाद वापस आया जो प्रतिवादीगण से मुलाकात नही हो पायी जिससे रजिस्ट्री नही करवा पाया। प्रतिवादीगण उनके सगे भाई होने से विश्वास करता रहा। वादी ने दिनांक 02.09.2018 को प्रतिवादीगण को उक्त इकरार के मुताबिक भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। वादी को प्रतिवादीगण ने दिनांक 12.01.1999 को वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा अपासी बंटवाडे से वादी को सिपुर्द कर कब्जा कर दिया तब से वादी उक्त भूमि में जो प्रतिवादीगण का हिस्सा था पर कास्त करता आया है, किन्तु प्रतिवादीगण ने इकरार के मुताबिक भूमि विक्रय की रजिस्ट्री नही करवायी तथा वादी का प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि पर 12.01.1999 से 19 वर्षो से कब्जा कास्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण से भूमि का कब्जा लेने की कोई मियाद शेष नही है जिससे वादी अब प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का वाद प्रतिवादीगण के वादग्रस्त आराजी से हिस्से को वादी के खाते दर्ज कराने हेतु खातेदारी का है तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी अन्यत्र ट्रान्सफर नही करें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का है। तथा प्रतिवादी सं0 03 उपपंजीयककर्ता देवगढ़ वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण की भूमि के हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन नही करें तथा तहसीलदार साहब देवगढ़ उसका नामान्तकरण नही करें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि जो ग्राम कलालो की आंती में स्थित होकर आ0नं0 240 एवं 632/240 कुल किता 2 कुल रकबा 10.10 बीघा में प्रतिवादी सं0 01 व 02 नाथूलाल व सोहनलाल पिता लखु जी का 1/9 हिस्सा वादी मांगी लाल पिता लखु जी कलाल निवासी कलालो की आंती के खाते दर्ज करने के आदेश एवं डिक्री प्रदान करायी जावे तथा इसी अनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद कराया जावें। साथ ही प्रतिवादी सं0 01 व 02 इस वादग्रस्त आराजियात को अन्यत्र रहन, बय, नही करें, भूमि का कब्जा नही छीने। प्रतिवादी सं0 03 उपपंजीयक वादग्रस्त आराजियात के हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन नही करें एवं तहसीलदार साहब उसका नामान्तकरण नही करें इस हेतु उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें। दौराने सुनावाई दावा यदि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र हस्तान्तरण करने में सफल होवे अथवा उपपंजियनकर्ता वादग्रस्त आराजी का पंजीयन कर तहसीलदार साहब नामान्तकरण पारित कर दे तो जरिये आज्ञा पर वाद की पुर्व स्थिति को बहाल कराया जावें।

निरस्त

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

वादी का का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी कियग गये। प्रत्युत्तर में प्रतिवादी सं0 03, 04 ने जवाब पेश किया जवाब शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी सं0 01 को सम्मन तामिल हो जाने पर भी कोई जवाब पेश नही किया बल्कि बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा जिस पर प्रतिवादी सं0 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी सं0 02 की ओर से अधिवक्ता रेखा शर्मा ने वकालातनामा पेश किया। अधिवक्ता रेखा शर्मा को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन वकील प्रतिवादी ने कोई जवाब पेश नही किया जिस पर वकील प्रतिवादी का जवाब बंद किया गया। अधिवक्तागण ने प्रकरण में बहस की बहस के तर्क सुने। विद्धवान वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम कलालो की आंती में वादी एवं प्रतिवादी सं0 01, 02 की खातेदारी भूमि थी जिसके आ0नं0 240 रकबा 8.10 एवं आ0नं0 632/240 रकबा 2.00 बीघा कुल किता 2 रकबा 10.10 बीघा थी जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 व 02 का 1/3 हिस्सा था जिसमें से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1/6 हिस्सा श्री सुआलाल, कन्हैयालाल, देवीलाल, बंशीलाल, रमेशलाल, पिता लच्छु को बेचान कर दी शेष 1/6 हिस्सा में से प्रतिवादी नाथूलाल व सोहनलाल ने वादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा वादी को आपसी बंटवारे में दे दिया तथा एक इकरार पत्र निष्पादित कर इकरार किया कि वादी जब भी कहेगा तब उक्त भूमि की रजिस्ट्री वादी के पक्ष में करा देगें। इस हेतु 10/– रू0 के स्टाम्प पर दिनांक 12.01.1999 को लिखापढी की गयी थी। प्रतिवादीगण ने इस भूमि के बदले अन्यत्र भूमि रखली जिसे प्रतिवादीगण ने लच्छु पिता भीमा को बैचान कर दी। इसके बाद वादी बाहर धन्धे पर चला गया तथा दो–तीन वर्ष वापिस नही आया एवं प्रतिवादीगण से मुलाकात नही हो पायी जिससे रजिस्ट्री नही करा पाया। प्रतिवादीगण वादी के सगेभाई होने से विश्वास करता रहा तथा दिनांक 02.09.2018 को वादी ने प्रतिवादीगण को ईकरार के मुताबिक भूमि रजिस्ट्री कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण ने वादी को वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा आपसी बंटवाडे से वादी को दिनांक 12.01.1999 को सिपुर्द कर दिया तब से वादी उक्त भूमि में जो प्रतिवादीगण का हिस्सा था उस पर काश्त करता आया है, किन्तु प्रतिवादीगण ने इन्कार के मुताबिक भूमि विक्रय की रजिस्ट्री नही करवायी है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का 19 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण से भूमि का कब्जा लेने की कोई मियाद शेष नही है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नाथूलाल व सोहन लाल पिता लखु जी कलाल का 1/9 हिस्सा वादी मांगी लाल पिता लखु जी कलाल निवासी कलालो की आंती के खाते दर्ज कराने के आदेश एवं इसी आशय की डिक्री प्रदान करायी जावें। वकील प्रतिवादी ने बहस में तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजियात वादी की ही है प्रतिवादी सं0 01 व 02 का इस भूमि पर कोई हक अधिकार नही है। वाद खारीज फरमाया जावें।

निरन्तर.....

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

हमनें वादी के वाद पत्र, नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विद्धवान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। उपर्युक्तानुसार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात जो ग्राम कलालो की आंती में स्थित होकर आ0नं0 240 रकबा 8.10 एवं आ0नं0 632/240 रकबा 2.00 बीघा कुल किता 2 रकबा 10.10 बीघा है जो वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 व 02 की खातेदारी थी जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 व 02 का 1/3 हिस्सा था जिसमें से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1/6 हिस्सा सुआलाल, कन्हैयालाल, देवीलाल, बंशीलाल पिता लच्छु को बेचान कर दिया तथा शेष 1/6 हिस्सा में से प्रतिवादी नाथूलाल व सोहनलाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी को आपसी बंटवाडे में दे दिया तथा एक इकरार पत्र निष्पादित किया कि जब भी वादी कहेगा तब उक्त भूमि की रजिस्ट्री वादी के पक्ष कर देगें। लेकिन प्रतिवादी नाथूलाल व सोहनलाल पिता लखु जी कलाल का 1/9 सम्पूर्ण हिस्सा वादी मांगीलाल पिता लखु जी कलाल के खाते दर्ज किये जाने के आदेश एव इसी अनुसार रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि की नियमानुसार पंजीयन दर अनुसार पंजीयन शुल्क जमा कराने पर उपर्युक्तानुसार रेकार्ड में अंकन किया जावें। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि की वर्तमान पंजीयन दर अनुसार पंजीयन शुल्क जमा करा रसीद पेश करने पर तद्नुसार डिक्री जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमाार हो बाद अंकन दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ, देवगढ राजसमन्द

राजस्थान–सरकार

डिग्री व मुकद्दमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द
निर्णय श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
प्र0सं0 97/2018 रे.वाद **निर्णय दिनांक :– 29.01.2020**

अनवान

1. श्री मांगी लाल पिता लखु जी जाति कलाल आयु 65 वर्ष निवासी कलालो की आंती तहसील देवगढ़

.....**वादी/–**

बनाम

1. श्री नाथुलाल पिता लखु जी जाति कलाल आयु बालिग जाति कलाल आयु बालिग निवासी कलालो की आंती तहसील देवगढ
2. श्री सोहन लाल पिता लखु जी जाति कलाल आयु बालिग जाति कलाल आयु बालिग निवासी कलालो की आंती तहसील देवगढ
3. श्रीमान उपपंजीयक महोदय देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
4. श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ जिला राजसमन्द।

.....**प्रतिवादीगण/–**

वाद अन्तर्गत धारा 53–88–89–188 आर0टी0ए0

———:::———

उपस्थित :– 1. श्री लुम्ब सिंह वकील वादी।
2. श्री रेखा शर्मा वकील प्रतिवादी।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू.....
.....मिनजानिब मुद्दायलह पेश हो वादी का वाद पत्र इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि तथा ग्राम कलालो की आंती में स्थित होकर आ0नं0 240 रकबा 8.10 एवं आ0नं0 632/240 रकबा 2.00 बीघा कुल किता 2 रकबा 10.10 बीघा है जो वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 व 02 की खातेदारी थी जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 व 02 का 1/3 हिस्सा था जिसमें से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1/6 हिस्सा सुआलाल, कन्हैयालाल, देवीलाल, बंशीलाल पिता लच्छु को बेचान कर दिया तथा शेष 1/6 हिस्सा में से प्रतिवादी नाथूलाल व सोहनलाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी को आपसी बंटवाडे में दे दिया तथा एक इकरार पत्र निष्पादित किया कि जब भी वादी कहेगा तब उक्त भूमि की रजिस्ट्री वादी के पक्ष कर देगें। लेकिन प्रतिवादी नाथूलाल व सोहनलाल पिता लखु जी कलाल का 1/9 सम्पूर्ण हिस्सा वादी मांगीलाल पिता लखु जी कलाल के खाते दर्ज किये जाने के आदेश एव इसी अनुसार रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। नीज.....
.....मुबलिग.....बाबत्.....खर्चा
इस मुकद्दमें के मय सूद व शहर.....फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख वसूलयाबी तक.....का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 29 मास 01 सन् 2020 की जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	4	00	स्टाम्प वकालातनामा	0	00
स्टाम्प वकालातनामा	2	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	महनताना वकील	0	00
महनताना वकील)पर	0	00	)पर	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	4	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफर्रिक	20	00	मुतफर्रिक	0	
मिजान	26	00	मिजान	00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिऐं।

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द